# फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादी / वादीगण

प्रतिवादी / प्रतिवादीगण

......हजारीराम......... बनाम .....सरकार जरिये तहसीलदार

प्रकरण : राजस्व ......दावा..........

मुकदमा नं. ....40....... / 2020

| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज | नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये। |
|---|---|---|
| 3/6/20 | यह वाद पत्र अधीन धारा ...53, 88........ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील श्री ...[illegible] ढाका.... ने पेश किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को ज़बाब देही हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ..13/7/20.....को पेश हो। <br> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 13.07.20 | पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी सं. 01 की तलबी हेतु नोटिस तलबाना पेश हुए, जारी हो। पत्रावली वास्ते प्रतिवादी सं. 01 की तलबी रिपोर्ट इन्तजार में दिनांक 19.08.2020 को पेश हो। <br> सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल | |
| 19.08.2020 | पत्रावली पेश हुई। पत्रावली अवलोकन से ज्ञात हुआ कि सहखातेदारान में बंटवारा करवाना चाहते हैं। एवं प्रतिवादी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बनाया है। एवं तहसीलदार को 80 धारा का नोटिस भी नहीं दिया है। साथ ही बिनाय दावा में यह निहित किया है कि "मौके पर मौखिक बंटवारा कर लिया है परन्तु खातेदारी अलग-2 नहीं होने से वाद प्रस्तुत किया" एवं Para-5 में तहसीलदार को भू-स्वामी होने से आवश्यक पक्षकार बताया है। <br> यहाँ यह बिन्दु समीचीन है कि "सहखातेदारों में सहमति का विभाजन का क्षेत्राधिकार तहसीलदार का है" विद्वान <br> लगातार. - - सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) | |

Scanned with CamScanner

दमारीराम V/s सरकार 40/20

विद्वान अधिवक्ता ने नियमों एवं काश्तकारी कानून से अनभिज्ञ काश्तकार को वाद प्रस्तुत करवा दिया जबकि यह कार्य सामान्य रूप से एक या दो दिवसीय प्रक्रिया में कार्यालय तहसीलदार में सम्पन्न हो सकता था।

अतः वाद इस हिदायत के साथ खारिज किया जाता है कि आइन्दा विद्वान अभिभाषक सहमति के विभाजन सम्बन्धित क्षेत्राधिकार वाले तहसीलदार से करवाये एवं अनभिज्ञ काश्तकारों को अनावश्यक समय एवं धन की बरबादी भी हो साथ राज पैरोकार नायब तहसीलदार मय काश्तकारों के नाम एवं जमीन के खसरा नं. भरे कर भू.अ.नि. सम्बन्धित हल्का को देवें ताकि काश्तकारों का बंटवाड़ा अविलम्ब हो सके।

पत्रावली क्षेत्राधिकार के बाहर होने एवं Barred By law होने के कारण खारिज की जाती है। नम्बर से कम होकर फैसला शुमार हो।

(signature)
19.8.2021

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
[illegible], जिला नागौर